न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि[illegible] (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 51/2020(202[illegible]

1.कालू पुत्र छीतर आयु 60 वर्ष
2.मूला पुत्र केला आयु 70 वर्ष
जाति बैरवा निवासीगण ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—वादी

बनाम

1.कमला पत्नि रतन
2.आशाराम पुत्र रतन
3.कैलाशी पुत्री रतन
4.नोरत पुत्र रतन
5.सोनू कुमारी पुत्री रतन
6.पवनकुमार पुत्र रतन
7.काली पत्नि सुखा
[illegible] जाति बैरवा निवासीग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
8.इन्द्रा पुत्री सुखा पत्नि दुर्गालाल आयु व्यस्क जाति बैरवा निवासी बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर
9.गोपाल पुत्र सुखा आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
10.प्रेम पुत्री सुखा पत्नि गोकल जाति बैरवा
11.रामराज पुत्र कालू (माता स्व.श्रीमति सायरी पुत्री श्री सुखा पत्नि कालू)आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी गुमानपुरा तहसील कोटा जिला कोटा
12.हीरा देवी पुत्री कालू(माता स्व. सायरी पुत्री सुखा पत्नि कालू)आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी गुमानपुरा तहसील कोटा जिला कोटा
13.कमलेश पुत्री कालू (माता स्व.श्रीमति सायरी पुत्री श्री सुखा पत्नि कालू)जाति बैरवा निवासी गुमानपुरा तहसील कोटा जिला कोटा
[illegible]सीमा पुत्री कालू (माता स्व.श्रीमति सायरी पुत्री सुखा पत्नि कालू)आयु वयस्क जाति [illegible]वा निवासी गुमानपुरा तहसील कोटा जिला कोटा
15.घीसी पत्नि जगदीश आयु व्यस्क जाति बैरवा निवासी ग्राम बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर
16.पूजा पुत्री जगदीश पत्नि सांवरलाल आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी गेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर
17.रोशन पुत्री जगदीश पत्नि सांवरलाल आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी जालका खेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
18.सुरेश पुत्र जगदीश
19.मुकेश पुत्र जगदीश
दोनो नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता श्रीमति घीसी पत्नि जगदीश जाति बैरवा निवासी बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
20.सरजू पत्नि रूघा आयु आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
21.प्रेम पुत्री रूघा पत्नि कालूराम वयस्क जाति बैरवा निवारी ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
22.लाडा पत्नि रामपाल आयु वयस्क [illegible] तहसील केकड़ी जिला अजमेर
23.आशा पुत्री रामपाल पत्नि राजू वयस्क जाति बैरवा [illegible] काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
24.आरती पुत्री रामपाल पत्नि दिनेश आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी देवखेड़ी त[illegible] सावर जिला अजमेर
25.रेखा पुत्री रामपाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमति लाडा आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी ग्राम बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

26 रामकन्या पुत्री रूपा पत्नि मेवाराम आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी धांधोली तहसील देवली जिला अजमेर

27 जमनी पत्नि नारायण आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर

28 रामावतार पुत्र नारायण आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर

29 सुगना पुत्री नारायण पत्नि मुकेश आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी बोसला कॉलोनी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

30 पोरवर पुत्र छोगा आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर

31 तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 53,188,92ए,209 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थित:— श्री मीठू सिंह राठौड वकील— वादी
श्री जितेन्द्र राजपुरोहित —प्रतिवादी संख्या 11 से 14
श्री पैरोकार सरकार — तहसीलदार केकडी

निर्णय

दिनांक 15.9.21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र अंतर्गत धारा 53,188,92ए,209 राज0टिनेंसी एक्ट के तहत पेश किया कि निम्न वर्णित काश्तीयात ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2072—75 मे स्थित है:—

खेवट खतौनी संख्या नई	पुरानी	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	विवरण
507	462	1456	0.25		
		1458	0.26		
		499	0.05		
		500	0.04		
		501	0.04		
		502	0.01		
		503	0.61		
		504	0.21		
		511	0.28		
		512	0.05		
		513	0.06		
		514	0.11		

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

		515	0.24		
		516	0.23		
		517	0.25		
		518	0.25		
		519			
		कुल किता 17	3.17		

वादवर्णित आराजीयात वादीगण संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 की संयुक्त खातेदारी कब्जे,काश्त,स्वामित्व,आधिपत्य की है, जिसमे वादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा वादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 प्रत्येक का 1/252 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 07 लगायत 10 प्रत्येक का 1/36 हिस्सा .सायरी पुत्री सुखा फौत हो चुकी है। जिसका हिस्सा 1/36 है। जिसके वारिसान एवं [illegible] काबिज काश्त संयुक्त प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 है। तथा खातेदार हीरा [illegible] सुखा निःऔलाद फौत हो चुकी है। जिसके वारिस एवं उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 07 लगायत 14 है। जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 07 से 10 का प्रत्येक का 1/180 हिस्सा संख्या 11 लगायत 14 का संयुक्त 1/180 हिस्सा खातेदार जगदीश पुत्र रूघा का 1/42 हिस्सा है,जो फौत हो चुका है जिसके वारिस एवं वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 19 का संयुक्त 1/42 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 20 व 21 का प्रत्येक का 1/42 हिस्सा तथा खातेदार रामपाल पुत्र रूघा का 1/24 हिस्सा है जो फौत हो चुका है। जिसके वारिस एवं वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 22 से 25 है जिनका संयुक्त 1/42 हिस्सा है। तथा प्रतिवादी संख्या 26 का 1/42 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 27 लगायत 29 का प्रत्येक का 1/126 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 30 का 1/3 हिस्सा है जो इस प्रकार संयुक्त खातेदारी कब्जे,काश्त स्वामित्व आधिपत्य मे चली आ रही हैं जिसमे वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 30 के अलावा किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कानूनन हक हकूक नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 15.06.2020 को बंटवारा करने हेतु कहा [illegible]तिवादीगण ने मना कर दिया तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये। अतः बंटवारा करने हेतु डिकरी जारी की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि बंअवारा होने तक वादवर्णित आराजी मे वादी संख्या 01 व वादी संख्या 02,का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा खातेदारी की संयुक्त आरजीयात के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही खुर्द बुर्द नष्ट करे तथा वादवर्णित आराजीयात मे से किसी भी आराजी को या खसरा नंबर 503,517,518 जो कि धूधरी रोड़ के 'लगवा होकर बेशकीमती है,को बिना विभाजन के रोड के लगवा उक्त वर्णित आराजी के विशिष्ट भू भाग को प्लॉट या प्लॉटो के रूप मे किरी प्रकार से अजनबी व्यक्ति या व्यक्तियों को बेचान अन्तरण,हस्तान्तरण बिना बॅटवारे के नहीं करे तथा वादवर्णित आराजीयात मे वादीगण को उनके हक हिस्से की संयुक्त खातेदारी की आराजी से जबरन बेदखल नहीं करे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से 10 तथा 15 से 30 बावजूद सम्मन तामिली गैर हाजिर रहने से उनके खिलाफ एक्सपार्टी की गई तथा 11 से 14 व 31 के जवाब हेतु पत्रावली रखी गई। दिनांक 17.08.21 को प्रतिवादी संख्या 11 व 14 के लायक अभिभाषक ने उपस्थित होकर मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किये जाने मे कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 31 ने जवाब प्रस्तुत नही किया अतः जवाब बंद किया गया। वादी कालू पुत्र छीतर बैरवा ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को परीक्षित करवाया पी.ड्बल्यु.डी.1 है दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। वादी कालू ने वादपत्र को डिकरी करने की प्रार्थना की है। वादी मूला पुत्र [illegible] बैरवा ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो पी. ड्बल्यु.डी.2 है। मूला ने भी दावा डिकरी [illegible] की है।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने से बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस मे वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया तथा दावा डिकरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchori
Date: 2022.01.14 11:27:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

किये जाने की प्रार्थना की। प्रतिवादी संख्या के लायक अभिभाषक ने मिट्स एण्ड बाउण्डरा के आधार पर दावा डिकरी किये जाने की सहमति जाहिर की। नियमानुसार बॅंटवारा किये जाने मे तहसीलदार केकड़ी–पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

अनुतोष

वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 53,188,92ए,209 राजस्थान टिनेंसी एक्ट वास्ते खातेदारी की ,स्थायी निषेधाज्ञा,बॅंटवारा तथा अन्य अनुतोष बाबत् आराजीयात वाके ग्राम बोगला की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या नया –पुराना 507–462 कुल किता 17 रकबा 3.17 है0 बाबत् स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 53,188,92ए,209 राजस्थान टिनेंसी एक्ट वास्ते खातेदारी की ,स्थायी निषेधाज्ञा,बॅंटवारा ग्राम बोगला की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या नया –पुराना 507–462 कुल किता 17 रकबा 3.17 है0 मे से वादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा,वादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 06 का प्रत्येक का 1/252 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 10 का प्रत्येक का 1/36 हिस्सा,सायरी पुत्री श्री सुखा फौत हो चुकी है,जिसका हिस्सा 1/36 जिसके वारिसान व उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 11 से 14 है तथा खातेदार हीरा पुत्र सुखा नाऔलाद फौत हो चुकी है। जिसके उत्तराधिकारीगण प्रतिवादीगण संख्या 07 लगायत 14 है जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 07 लगायत 10 का प्रत्येक का 1/180 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 का संयुक्त 1/180 हिस्सा है। तथा खातेदार जगदीश पुत्र रूघा का 1/42 हिस्सा है, जो फौत हो चुका है। जिसके वारिस एवं वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 19 का संयुक्त 1/42 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 20 से 21 प्रत्येक का 1/42 हिस्सा,खातेदार रामपाल पुत्र रूघा का 1/42 हिस्सा है,जो फौत हो चुका है। इसके वारिस एवं वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 22 से 25 है जिनका संयुक्त 1/42 हिस्सा है। तथा प्रतिवादी संख्या 26 का 1/42 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 27लगायत 29 का प्रत्येक का 1/126 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 30 का 1/3 हिस्सा है। अतःप्रतिवादी संख्या 31 तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है। तहसीलदार केकड़ी मौके पर जाकर राजस्व मैन्युअल के नियम 18 से 21 की पालना मे बॅंटवारा प्रस्ताव पक्षकार की उपस्थिति मे मिट्स एण्ड बाउण्डरा के आधार पर तैयार कर प्रत्येक हिस्सेदारान के अलग अलग रंग से दर्शित करते हुए बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। बॅंटवारा नहीं होने तक विशिष्ट भू भाग को प्लाट अथवा प्लाटो के रूप मे विक्रय हस्तान्तरण नहीं किया जावे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी(अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner